प्रेस नोट

जनपद बागपत **दिनांक 30.06.2025**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया अमरपाल उर्फ कालू व अन्य उसके सहयोगी अभियुक्तों वीरसैन, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त, मुशर्रफ को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप दोहरे हत्याकांड के अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 75,000-75,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया 1-अमरपाल उर्फ कालू पुत्र श्यामसिंह व अन्य अभियुक्त 2-नरेश, 3-सुरेश पुत्रगण श्याम सिंह, 4-वीरसैन पुत्र कृत्तेराम, 5-अरविन्द पुत्र ओमपाल, 6-शास्त्री उर्फ धर्मदत्त पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत, 7-नीटू पुत्र ओमपाल, 8-संजीव पुत्र राजेन्द्र निवासीगण सरूरपुर मेरठ व 9-मुसर्रफ पुत्र धन्ना निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत विरूद्व थाना छपरौली पर वर्ष-2015 में मु0अ0सं0 181/2015 धारा 147/149/364/302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों द्वारा वादी के 02 भाईयों का अपहरण कर दोनों की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी। उक्त अभियोग में ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा आरोपी अमरपाल उर्फ कालू व अन्य अभियुक्त वीरसैन, शास्त्री उर्फ धर्मदत्त, मुशर्रफ को दोषी करार देते हुए धारा 147/149/364/302/201/34 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 75,000-75,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

एडीजीसी
अमित खोखर

उ0नि0 अनिल
कुमार कोर्ट
पैराकार

का0 हरदीप
कोर्ट पैराकार
थाना छपरौली
विवेचक-
उ0नि0 अनिल
कुमार

है। अभियुक्त अमरपाल उर्फ कालू के विरूद्व जनपद बागपत, मेरठ तथा हरियाणा सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 44 अभियोग जिसमें गैंगस्टर, हत्या, लूट, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं। शेष अभियोगों में भी मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभारी पैरवी कर मा0 न्यायालय से दण्डित कराया जाएगा। बागपत पुलिस शेष माफियाओं के विरूद्व भी कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है।

उक्त माफिया अमरपाल उर्फ कालू की 6,50,000 की सम्पत्ति धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क की जा चुकी है।

चिन्हित माफिया अमरपाल उर्फ कालू का आपराधिक इतिहास-

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	167 / 03	धारा 25 / 27 आर्म0 एक्ट	छपरौली
2	279 / 15	धारा 2 / 3 गैग0 अधि0	छपरौली
3	359 / 12	धारा 216 भादवि	छपरौली
4	123 / 20	धारा 420,411 भादवि	बडौत
5	358 / 12	धारा 25 आर्म0 एक्ट	छपरौली
6	184 / 15	धारा 25 / 27 आर्म0 एक्ट	छपरौली
7	249 / 21	धारा 3 / 25 / 27 आर्म0 एक्ट	छपरौली
8	135 / 19	धारा 307 भादवि	रमाला
9	01 / 12	धारा 392,411 भादवि	रमाला
10	324 / 16	धारा 506 भादवि	छपरौली
11	220 / 12	धारा 2 / 3 गैग0 अधि0	बडौत
12	181 / 15	धारा 147,149,364,302,201,34 भादवि	छपरौली
13	183/15	धारा 504/506 भादवि	छपरौली
14	158/15	धारा 392 भादवि	छपरौली
15	103/16	धारा 302/120 बी भादवि	सि0अहीर
16	204/21	धारा 323/504/506/307/386 भादवि	छपरौली
17	236/21	धारा 147/224/332/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	बागपत
18	235/22	धारा 147/148/149/302/34 भादवि	बडौत
19	875/22	धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट	बडौत
20	308/22	धारा 307/414 भादवि	बडौत
21	69 / 12	धारा ३25 आर्म0 एक्ट	बडौत
22	67 / 12	धारा ३147,148,149,307 भादवि	बडौत
23	66 / 12	धारा 399,402 भादवि	बडौत
24	197/09	धारा 25/04 शस्त्र अधि0	छपरौली
25	157/09	धारा 223/224 भादवि	रमाला
26	382/12	धारा 379/411 भादवि	छपरौली

27	462/14	धारा 307 भादवि पु0 मुठभेड	छपरौली
28	463/14	धारा 25 शस्त्र अधि0	छपरौली
29	224/12	धारा 13 जी एक्ट	शिवाजी कालोनी
30	528/06	धारा 307 भादवि	झिंझाना
31	529/06	धारा 25 शस्त्र अधि0	झिंझाना
32	76/07	धारा 147/148/336/506/307 भादवि	मेडिकल मेरठ
33	197/06	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली
34	62/07	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली
35	215/09	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली
36	230/09	धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0	छपरौली
37	418/10	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली
38	446/10	धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0	छपरौली
39	66/13	धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0	छपरौली
40	14/14	धारा 110 जी सीआरपीसी	छपरौली
41	166/03	धारा '364/302/201 भादवि	छपरौली
42	एनसीआर-84/19	धारा 323/504 भादवि	छपरौली
43	131/07	धारा 147/148/149/307/302 भादवि	दोघट
44	241/07	धारा 25/27 शस्त्र अधि0	दोघट

आरोपी वीरसैन का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0स0 धारा	थाना	जनपद
1	मु 181/15 धारा 147,149,364,302,201,34 भादवि	छपरौली	बागपत
2	279/15 धारा 2/3 गैग0 अधि0	छपरौली	बागपत

आरोपी का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0स0धारा धारा	थाना	जनपद
1	181/15धारा147,149,364,302,201,34 भादवि	छपरौली	बागपत
2	183/15धारा504.506 भादवि	छपरौली	बागपत
3	185/15 धारा25/27 ए0एक्ट	छपरौली	बागपत
4	796/23 धारा 307.414.115 भादवि 3.25.27 आर्म्स एक्ट	बागपत	बागपत
5	279/15 धारा2/3 गैग0 अधि0	छपरौली	बागपत

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

1-अमरपाल उर्फ कालू पुत्र श्यामसिंह ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।
(एचएस नं0 816ए, गैंग नं0- डी0-81)
(आजीवन कारावास व 75,000 रूपये के अर्थदण्ड)
2-वीरसैन पुत्र कृत्तेराम निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।
(आजीवन कारावास व 75,000 रूपये के अर्थदण्ड)
3-शास्त्री उर्फ धर्मदत्त पुत्र नरेश निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।
(आजीवन कारावास व 75,000 रूपये के अर्थदण्ड)
4-मुसर्रफ पुत्र धन्ना निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।
(आजीवन कारावास व 75,000 रूपये के अर्थदण्ड)

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनांक 30.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस, एसटीएफ गौतमबुद्धनगर इकाई द्वारा संयुक्त रूप से हाईवे पर ट्रक लूट करने वाले गिरोह के सरगना व थाना पनकी कानपुर के मु0अ0सं0 107/25 में वांछित 01 लाख रुपये के इनामी अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलवस्था में किया गिरफ्तार,(जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो जाना) जिसके कब्जे से 02 अवैध पिस्टल (.32 बोर व 7.62 बोर) व 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय कुल 15 जिन्दा व 09 खोखा कारतूस, एक मोटरसाईकिल यामाहा एफजेड बिना नम्बर प्लेट व एक हैलमेट, एक कपडे का बैग मय 5500 रूपये नकद व एक ड्राईवंग लाईसेंस बरामद ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसटीएफ गौतमबुद्धनगर की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान हाईवे पर ट्रक लूट करने वाले गिरोह के सरगना व थाना पनकी कानपुर के मु0अ0सं0 107/25 धारा 305ए/317(2)/111(4)(5)/61(2)क बीएनएस में वांछित 01 लाख रूपये के इनामी अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया । मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल बागपत में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जिसको चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया गया तथा एक अभियुक्त नाम पता अज्ञात पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भाग गया, जिसकी कॉम्बिंग करायी जा रही है । अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध पिस्टल (.32 बोर व 7.62 बोर) व 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय कुल 15 जिन्दा व 09 खोखा कारतूस, एक मोटरसाईकिल यामाहा एफजेड बिना नम्बर प्लेट व एक हैलमेट, एक कपडे का बैग मय 5500 रूपये नकद व एक ड्राईवंग लाईसेंस बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

संदीप लोहार उर्फ संदीप पहलवान पुत्र सतवीर निवासी ग्राम भैंणी महाराजपुर थाना महम जनपद रोहतक हरियाणा (दौराने उपचार मृत्यु)

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का स्थान- यमुना पुस्ता पर यमुना नदी की ओर जाने वाले खडंजे की ओर ग्राम मवींकला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 अवैध पिस्टल (.32 बोर व 7.62 बोर)
- 02 अवैध तमंचा .315 बोर।
- कुल 15 जिन्दा व 09 खोखा कारतूस।
- एक मोटरसाईकिल यामाहा एफजेड बिना नम्बर प्लेट व एक हैलमेट।
- एक कपडे का बैग मय 5500 रूपये नकद व एक ड्राईवंग लाईसेंस।

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप लोहार उर्फ संदीप पहलवान का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद/राज्य
1	146/12	120 बी/407 भादवि	कालानोर	रोहतक/हरियाणा
2	521/13	392/302/201/34 भादवि	सदर	हिसार/हरियाणा
3	33/14	302/201 भादवि	*PATAUDI*	गुरूग्राम हरियाणा

4	358/14	392/302/201/452 भादवि	सदर हंसी	हिसार/ हरियाणा
5	460/15	302/201 भादवि	सदर हंसी	रोहतक/हरियाणा
6	268/16	379/341 भादवि व 25/54/59 आर्म्स एक्ट	राजेन्द्र पार्क	गुरूग्राम हरियाणा
7	358/16	341/392 भादवि	सदर हंसी	हिसार हरियाणा
8	523/16	25/54/59 आर्म्स एक्ट एंव 398/401 भादवि	सदर हंसी	हिसार हरियाणा
9	582/21	*323/34/506/341* भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
10	01/23	3 आरपी(यूपी) रेलवे एक्ट		
11	23/23	379 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
12	32/23	42 *PRISONS ACT*	भौंडसी	हरियाणा
13	582/23	323/34/341/506 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
14	50/24	160/283/427 भादवि	महम	रोहतक हरियाणा
15	549/	25 आर्म्स एक्ट		
16	107/25	305ए/317(2)/111(4)(5)/61(2) क बीएनएस	पनकी	कानपुर नगर
17	374/25	109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	बागपत	बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-उ0नि0 वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

8-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई-

1-उ0नि0 श्री अक्षय परवीर कुमार त्यागी एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

2-है0का0 जय कुमार एसटीएफ एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

3-है0का0 राजन कुमार एसटीएफ एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

4-है0का0 मुकेश सिंह एसटीएफ एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

5-है0का0 सुनील कुमार एसटीएफ एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

6-है0का0 अंकुर एसटीएफ एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

7-है0का0 सुशील एसटीएफ एसटीएफ गौतमबुद्धनगर ईकाई।

प्रेस नोट

थाना बालैनी दिनाँक 30.06.2025

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

योगेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण उर्फ कृष्णपाल निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 30.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

अय्यूब पुत्र हकीमुद्दीन निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-है0का0 138 अनिल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3-है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर **दिनाँक 30.06.2025**

थाना चांदीनगर पुलिस ने गुम हुए 02 मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइल के स्वामियों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

थाना चांदीनगर पर आवेदकों द्वारा मोबाईल के गुम होने के सम्बन्ध में दिये गये प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दोनों मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया । मोबाइल स्वामियों द्वारा थाना चांदीनगर पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी ।

मोबाइल मालिक का विवरण-

1.विशाल पुत्र हरीश निवासी ग्राम भैडापुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2.अंकित पुत्र सुखराम निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक-30.06.2025

थाना दोघट पुलिस ने चार वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चार वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-फरमान पुत्र शरीफ निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।
2-जनार्दन पुत्र अशोक निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।
3-प्रमोद पुत्र जनेश्वर निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।
4-चांदवीर पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम भडल थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
3-है0का0 352 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत।
4-है0का0 36 हरविन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 30.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 750 ग्राम अवैध चरस (कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त 01 मो0सा0 हीरो पैशन नं0 DL-8STB-8222 बरामद ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 750 ग्राम अवैध चरस (कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त 01 मो0सा0 हीरो पैशन नं0 DL-8ST-8222 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महीनूद्दीन पुत्र वहीद निवासी ग्राम जिवानी थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **750 ग्राम अवैध चरस (कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रूपये)**
- **तस्करी में प्रयुक्त 01 मो0सा0 हीरो पैशन नं0 DL-8ST-8222**

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 1228/2021 धारा 147/148/149/279/307/308/323/337/338/34/364/504 /506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
3- उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्नोई थाना रमाला जनपद बागपत।
4- का0 583 अमी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
5- का0 1043 सुनील थाना रमाला जनपद बागपत।
6- का0 924 विशाल थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 30.06.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 190/25 धारा 197/353(2) बीएऩएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.06.2025 को थाना बिनौली पर आवेदक श्री आशीष अम्बेडकर आजाद समाज पार्टी निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर जिसके साथ संलग्न मय एक स्क्रीन शाट की छायाप्रति दी कि अभियुक्त सोनू पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा अपनी फेसबुक आईडी Sonu.sonu जिस पर डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर गलत तरीके से वीडियो बनाकर डाली गई, जिससे समाज क्षेत्र के आस-पास के लोगों में रोष व्याप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 190/25 धारा 197/353(2) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 190/25 धारा 197/353(2) BNS से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 513 मुनेन्द्र भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।